# संयुक्त परिवार प्रणाली की दृष्टि : एक अध्ययन

शीला देवी

परिवार सामाजिक सद्गुणों की प्रथम पाठशाला है यह बात निश्चित एक परिवार के प्रति निष्ठा का कारण बन जाती है, एक बालक जिसने अभी–अभी जन्म लिया है। उसकी शिक्षा के लिए परिवार प्रथम पाठशाला की भुमिका का निवार्ह करेगा, माँ इस पाठशाला की प्रथम और मुख्य शिक्षक होगी, वह बालक को शब्द देगी, बालक उन्हीं शब्दों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति के कौशल निर्मित करता है। इसके अतिरिक्त बालक का व्यक्तित्व के विकास की नींव भी यहीं पड़ती है। परिवार में बालक कार्य विभाजिन की ऐसी कार्य"ाला को देखता है। जिसमें सभी सदस्य परस्पर आबद्द, घनिष्ट अंतरंग रूप में स्थाई तौर पर एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। सम्बंध एवं कर्तव्य सामाजिक एवक सार्वकालिक होते हैं। परिवार एक सभ्य समाज की विरासत होती है जो, संस्कृति सहित पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांरित होती रहती है। अनु"ासन और समर्पण प्रत्येक परिवार की अपनी विशेषता होती है। ''विभिन्न इलाके, धार्मिक और नृजातीय समुदाय जाति वर्गों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रिश्ते नातों के सम्बंधों में व्याप्त विविधता भारतीय परिवार जैसी विशेषता का एक अंश हे।''1

दैनिक जीवन में प्रायः न बदलने वाला परिवार, रिश्तेनातों के साथ विवाह जैसी सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विशेषता को अपना आधार बनाए हुए है। विवाह के रूपों से परिवार के रूपों का घनिष्ट सम्बंध है। लेविस मार्गन महत्वपूर्ण समाज शास्त्री का मानना है, ''समाज के आरम्भ की अवस्था में विवाह प्रथा नहीं थी और मनुष्य पूर्ण कामाचार लिप्त था। इसके बाद के समय में समाज का विकास क्रम आया और सभ्य बनने के प्रयास में विवाह जैसी प्रथा प्रचलित हो गई।''2 विवाह समाज की महत्वपूर्ण विशेषता बनने के साथ–साथ परिवार की सभ्य एवं विकास पूर्व विशेषता भी बन गई। यह एक उत्सव स्वरूप होता, इसी से परिवार निर्माण की अधारशिला का सूत्र बनता। विवाह शब्द का प्रयोग मुख्यतः पति पत्नी के रूप में पुरूष और स्त्री के स्थाई संबंधों का निर्माण करने के एक उत्सव के रूप में किया जाता है। मनुस्मृति में विवाह को एक निश्चित पद्धति से किया जाने वाला संस्कार है। यह संतान उत्पत्ति का वैद्य मानता है तथा मानव समाज के विकास के विभिन्न द्वार खोलने वाला है। यह एक दाम्पत्य पारिवारिक जीवन की शुरूआत है। इस सम्बंध से समाज एवं परिवार से पति–पत्नी को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनके साथ कुछ कर्तव्य भी निर्वहन किए जाते हैं। विवाह से एक पुरूष तथा स्त्री को कामसुख का अधिकार देता है तथा संतान पालन एवं उसके भरण पोषण का कर्तव्य देता है, इसके साथ–साथ बुजुर्ग के बुढ़ापे का कर्तव्य भी विवाह से ही सम्बंधित माना जाता है कि भारत में श्वेत केतु ने विवाह की परम्परा का आर्वाचीन किया था। चीन, मिश्र और युनान की विवाह को लेकर अपनी मान्यताएं थी। इसी के आधार पर लार्ड एववटी ने ''विवाह की आदिम प्रथा को कामाचार माना है। संबंध में चार्ल्स डरविन ने अपना अलग मत प्रस्तुत किया और उक्त विचार धारा का खंडन किया है।''3

प्रसिद्ध समाज शास्त्री रिक्खे ने लिखा है, ''आत्मरक्षा की दृष्टि से विवाह की कल्पना मानव के मन में उद्भुत हुई। यह केवल मानव समाज में नहीं, मानव के पूर्वज समझे जाने वाले समाज में भी थी, वस्तुतः काम भावना का संबंध विवाह से जोड़ना पूर्णत गलत है।''4 तब जाति को सुरक्षित बनाने की कल्पना इसका मूल कारण था, यदि पुरूष यौन क्रिया के पश्चात स्त्री से लगाव ना रखे तो उसकी संतान उत्पत्ति और उसका पोषण कैसे संभव हो। वस्तुतः वैयक्तित्व कर्तव्य से सामूहिक कर्तव्य की सांझेदारी विवाह के मूल में जानना विवाह का आधार बनाना सार्थक प्रतीत होता है। हिन्दू समाज में वैदिक युग से ही यह विश्वास प्रचलित था कि पत्नी मनुष्य का आधा अंग है। शिव का अर्द्धनारीश्वर रूप इसी का प्रमाण है।'' मनुष्य जब तक अधूरा रहता है जब कि वह पत्नी प्राप्त करके संतान उत्पत्ति नहीं कर लेता। शतपथ ब्राह्मण के (5/2/2010) अनुसार ''पुरूष प्रकृति के बिना और शिव शक्ति के बिना अधूरा है।''5

विवाह सामाजिक बंधन होने के साथ–साथ धार्मिक बंधन भी है। यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए यज्ञ करना अनिवार्य था और पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। अतः धार्मिक दृष्टि वैदिक युग से इस मंत्र को फलित करती आ रही है। पत्नी का अर्थ यज्ञ में सधर्तिणी का है, श्री राम का अ"वमेघ यज्ञ सीता की प्रतिमा के साथ ही सम्पन्न हुआ था। पितरों का पिंडदान एवं तर्पण धार्मिक कर्म का महत्वपूर्ण अं"ा है, यह हिन्दू समाज की आव"यक परम्परा है जो मौक्ष से संबंधित है और पत्नी के बिना संभव नहीं है। इस दृष्टि से (किसी भी रोमन, ईसाई, यहुदी, मुस्लिम) विवाह एक धार्मिक परम्परा का निर्वहन भी करता है।

विवाह एक समाज को अधिक आधार भी प्रदान करता है। यह श्रम विभाजन की कल्पना पर आधारित है। घरेलू आवश्यकता की सारी सामग्री परिवार के सदस्यों द्वारा जुटाना एवं आर्थिक पूर्ति करने के कारण उसे स्वावलम्बन का दर्जा विवाह का आधार माना गयाह"। पति द्वारा कमाया गया धन उसी पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्य (संतान) का अधिकार स्वीकार करना विवाह का आर्थिक पक्ष मजबूत करता है।

वस्तुतः विवाह एक सहवास नहीं है। किसी भी परिवार को बनने का एक विधिक पक्ष है। यह सभी प्रकार की शर्तों एवं अनुबंध से अलग है। यह नैतिक पक्ष पर निर्भर करता है और समाज के यौन भावनाओं पर अंकुश लगाकर उसे यौन उच्छंखलता से बचाता है।

मानव शास्त्रीयों एवं समाज शास्त्रीयों को कोई ऐसा समाज नहीं मिला जिसमें विवाह परिवार के अन्दर ही होते हों। इस दृष्टि से परिवार निमार्ण में विवाह की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। यह महत्ता मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों को वर्द्धन करने का कार्य करती है। ''विवाह के लिए दूसरे परिवार पर आश्रित रहना विवाह एवं परिवार को कौटुम्बिक समूह के वृहतर रूप प्रदान कर देता और समाज का विस्तार हो जाता है।''6 इस प्रकार के परिवार एकात्मक भावना का विकास कर परिवार की स्थिति और समाजिक संबंधों विशेषतः घर के भीतर होने वाले व्यवहार को प्राामिक देते हैं।

जैसा कि आरम्भ में बात की थी कि परिवार सामाजिक सद्गुणों की प्रथम पाठशाला है उसका सीधा सा अर्थ नहीं है। यह वह वाक्य है हमें यह बताता है कि समाज को चरित्र परिवार निर्धारित करते हैं। भारत जैसे देश जो कृषि प्रधान है यहां की आवश्यकताओं से प्रभावित परिवार की संरचना है कृषि प्रधान है। एक कृषक के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल अनिवार्य नहीं होता, जहाँ कृषि कार्य का प्र"िाक्षण ले उसमें पारंगत हो। यहां तो परिवार ही उसकी कार्यशाला है। जो कुशल कृषक का व्यवहार एवं कार्यप्रणाली निर्धारित करता है। इसके दूसरे पक्ष में हम भारतीय समाज को आदर्श एवं परम्पराओं का समाज मानते हैं। इसका गृहस्थ जीवन इतनी पवित्रता से परिपूर्ण है जिसमें अविश्वास जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है। संयुक्ता भारतीय समाज की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुतः भारतीय समाज में तीन–तीन, कहीं चार पीढ़ियों के लोग एक ही घर में , एक ही अनुशासन में और एक ही रसोई में अपना जीवन यापन करते हैं। इतना ही नहीं वे सभी धार्मिक, सामाजिक संस्कारों में भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त प्रथा भारत की कृषि प्रधान अर्धव्यवस्था के आदर्श के स्वरूप है। इस संयुक्त प्रथा ने भारतीय समाज को स्थिरता दी है। रामायण एवं महाभारत का आदर्श भी इसी संयुक्त परिवार प्रणाली में निहित है।

''संयुक्त परिवारों में एक बुजुर्ग (पुरूष एवं महिला) करे मुखिया के तौर पर माना जाता है। परिवार के सभी सदस्यों से यह उम्मीद की जाती है कि वे श्रम आंबंटन/उपभोग के वितरण/आय एकत्रीकरण, नगद खर्चे के मामले में और घर बाहर के सामाजिक संदर्भों के बारे मे मुखिया के अधिकार को स्वीकारतें और यह कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।''7 इसके अतिरिक्त परिवार के मुखिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार के अन्य सदस्यों विशेष रूप से पत्नी एवं व्यस्कों से सलाह मशविरा करें और निर्णय लेने से पूर्व अच्छी तरह सोचे। इसके साथ दूसरे सदस्यों का यह दायित्व बनता है ि कवे परिवार के मुखिया से सवाल जवाब ना करें। वे यह माने की घर बार के मामलों में मुखिया को पूरी जानकारी है ओर उसके निर्णय पारिवारिक हितों के मद्देनजर लिए जाते हैं।

संयुक्त परिवार प्रणाली भारत के समाज की सबसे प्राचीन परिवार प्रणाली है। इसके आन्तरिक स्वरू में विवाह, उत्तराधिकार, सम्पत्ति विवरण को लेकर समयान्तराल में समाज शास्त्री दोष देखने पर विवश हो जाते हैं। इसका सक मात्र महत्वपूर्ण कारण

समय की परिवर्तनशीलता है। इसके बाद के कारण भौतिकता/औद्योगिक क्रांती मूल्यहिनता या पाश्चात्य प्रभाव का जिक्र करना भी संगत है। नगरीकरण और नवीनीकरण का प्रतिफलन भी यह हो सकता है। व्यस्क मताधिकार एवं राजनैतिक लोकतंत्र प्रणाली भी इस व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था एवं बुनियादी उत्पादन भी इसका आधार बन गया है। वर्तमान पारिवारिक विघटन उसी परिवर्तन का परिणाम है जिसने एक परिवार प्रणाली को मजबूत करेन के आधार बनाए हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत का क्षण है। हमें इससे बचना चाहिए और उन पारिवारिक मूल्य का संरक्षण करना चाहिए जो ''हमारी धरोहर है संस्कृत है हमारी संस्कारों की पाठशाला है।''8 यदि ऐसा नहीं कियसा गया तो ''फैमिली इंजिनियरिंग'' जैसे विषयों को शिक्षा में लागू करना मजबूरी हो जाएगी। भविष्य साफ है। सवाल आपके सामने हैं।

## संदर्भ सूची

1. मानव शास्त्र का इतिहास, विश्वनाथ सिंह, पृष्ठ 17
2. समाज शास्त्र का अध्ययन, पुरीव पाल पृष्ठ 70
3. डारविर की विचारधारा, नरेश कुमार, 42
4. सोसाईटी, रिक्ख, पृष्ठ 33
5. शतपथ ब्राह्मण (5/2/2010)
6. थ्ववाह एक प्रथा, यशवीर सिंह, पृष्ठ 72ए
7. समाज व्याख्यात्मक स्वरूप, राजबीर, पृष्ठ 23
8. स्माज का सिद्दांत, राव आई.ए.एस. पृष्ठ 312

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com